जस्टिस राजेश बिंदल के समक्ष

डॉ. नीतू रानी- *याचिकाकर्ता*

बनाम

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और एक और- *उत्तरदाता*

2011 की सीडब्ल्यूपी संख्या 17141

राजेश बिंदल जे.

(1) याचिकाकर्ता, जिसने 5 वर्ष की अवधि के लिए सेवा करने के बाद प्रत्यर्थी-कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय (संक्षेप में, 'विश्वविद्यालय') से इस्तीफा दे दिया है, ने अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश के लिए इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है और आगे जांच को रद्द करने के लिए उसके खिलाफ शुरू करने की मांग की गई है।

(2) संक्षेप में, तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को दिनांक 8.9.2004 के पत्र द्वारा स्व-वित्तपोषण योजना के तहत इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय संस्थान, कुरुक्षेत्र (संक्षेप में, 'संस्थान') में गणित में व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 11.12.2009 तक काम करना जारी रखा, जब उन्होंने इस्तीफा देने के बाद नौकरी छोड़ दी। याचिकाकर्ता की शादी के कारण इस्तीफा दिया गया था। जब उन्होंने अनुभव प्रमाण पत्र माँगा, तो यह उल्लेख करते हुए प्रदान किया गया कि विश्वविद्यालय से मुक्त होने के समय, उनके खिलाफ साहित्यिक चोरी का मामला लंबित था। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों को बिना किसी टिप्पणी के प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश देने और याचिकाकर्ता के नौकरी से इस्तीफा देने के लगभग दो साल बाद साहित्यिक चोरी के कथित प्रयास के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए जारी किए गए नोटिस को रद्द करने के लिए इस अदालत का दरवाजा खटखटाया।

(3) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि

याचिकाकर्ता ने अपनी क्षमता के अनुसार संस्थान की सेवा की। अपनी शादी के कारण, वह नौकरी में जारी नहीं रह सकी, इसलिए, उसने अपना इस्तीफा प्रस्तुत किया, जिसे 11.12.2009 को स्वीकार कर लिया गया। इस्तीफे की स्वीकृति के समय किसी भी शर्त का उल्लेख नहीं किया गया था कि वह किसी भी शर्त के अधीन था। हालांकि, अभी भी अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था। जब याचिकाकर्ता ने उसी के लिए अनुरोध किया, तो बड़ी कठिनाई के साथ, दिनांक 3.2.2010 का प्रमाण पत्र जारी किया गया था जिसमें उल्लेख किया गया था कि जब याचिकाकर्ता को विश्वविद्यालय से मुक्त कर दिया गया था, तो उसके खिलाफ साहित्यिक चोरी का मामला लंबित था। प्रमाणपत्र में की गई टिप्पणियां पूरी तरह से अनावश्यक थीं क्योंकि उत्तरदाताओं के पास ऐसा कुछ भी उपलब्ध नहीं था जिसके आधार पर अनुभव प्रमाणपत्र में ऐसी टिप्पणी की जा सके। यहां तक कि उत्तरदाताओं द्वारा लिए गए रुख के अनुसार, यह चोरी करने के प्रयास का मामला था। कोई नियम और निर्देश उपलब्ध नहीं हैं, जिनके संदर्भ में एक कर्मचारी को इस आरोप पर दंडित किया जा सकता है। भले ही इस बारे में कुछ आरोप हैं, यह दो निजी व्यक्तियों के बीच का मामला है और विश्वविद्यालय का इससे कोई लेना-देना नहीं है। याचिकाकर्ता को केवल व्यावसायिक ईर्ष्या के कारण विश्वविद्यालय में किसी अन्य शिक्षक के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए दंडित करने की मांग की जाती है।

(4) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि हालांकि याचिकाकर्ता के खिलाफ की गई प्रारंभिक जांच में, जिसमें वह संबद्ध नहीं थी, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि याचिकाकर्ता ने प्रो. एम. डी. शन्ना द्वारा पहले प्रकाशित एक पेपर की कुछ सामग्री की प्रतिलिपि बनाई थी, हालांकि, उस प्रकाशन की प्रति विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध नहीं है, जिसकी तुलना में, यह राय दी जा सकती है कि साहित्यिक चोरी का कुछ मामला था। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि जब याचिकाकर्ता ने अपनी शादी के कारण नौकरी से इस्तीफा दे दिया, तो एक तथ्य खोज समिति की रिपोर्ट पहले से ही थी। हालांकि यह बिना

किसी आधार के था, लेकिन फिर भी याचिकाकर्ता के मामले को दो विकल्पों के साथ त्यागपत्र की स्वीकृति के लिए निपटाया गया था, अर्थात् या तो जांच करना या त्यागपत्र को स्वीकार करना। दूसरा विकल्प चुना गया था, यानी इस्तीफे को स्वीकार करना। इन परिस्थितियों में, किसी जांच के लंबित होने के संबंध में अनुभव प्रमाण पत्र में एक तथ्य का उल्लेख करना पूरी तरह से मनमाना था। वास्तव में, यह जांच किए बिना सजा है क्योंकि प्रमाण पत्र की सामग्री याचिकाकर्ता को किसी भी सेवा से वंचित कर देगी।

(5) विद्वान वकील ने आगे कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता ने पहले ही इस्तीफा दे दिया था, इसलिए स्वामी और नौकर का कोई संबंध नहीं था, इसलिए उसके खिलाफ कोई जांच शुरू नहीं की जा सकती थी। जब इस्तीफा स्वीकार किया गया था तब कोई जांच लंबित नहीं थी, इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि वही जारी रहा। यहां तक कि जांच जारी रखने के लिए भी कोई सक्षम प्रावधान नहीं है। यह उत्तरदाताओं का स्वीकृत मामला है कि साहित्यिक चोरी, जैसा कि आरोप लगाया गया है, कभी नहीं की गई थी। यह उनका अपना मामला है कि यह एक प्रयास था और इस तरह के प्रयास को लागू नियमों या विनियमों में अनुशासनहीनता के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है, जिसके लिए किसी को भी दंडित किया जा सकता है। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि कुछ कथित प्रकाशक और प्रो. एम. डी. शर्मा के बीच ई-मेल के माध्यम से संचार की इस स्तर पर कोई प्रासंगिकता और साक्ष्य मूल्य नहीं है क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65 ए और 65 बी में निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया गया है। ये दो अलग-अलग पक्षों के बीच संचार हैं। वास्तव में, ये केवल पेशेवर ईर्ष्या के कारण याचिकाकर्ता पर शिकंजा कसने के लिए बनाए गए होंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए एक प्रश्न में उत्तरदाताओं का रुख यह था कि किसी भी प्रकाशक के साथ रिकॉर्ड में कोई संचार उपलब्ध नहीं था।

(6) यह आगे प्रस्तुत किया गया था कि उपरोक्त दस्तावेजों को आसानी से पूरे अभिवचनों को पूरा करने के बाद रिकॉर्ड पर रखा गया था, वकील द्वारा केवल बिना किसी सहायक हलफनामे के आवेदन दायर करके, इस अदालत के निर्देश के बाद ही हलफनामा दायर किया गया था। यह प्रत्यर्थियों का निर्विवाद मामला है कि जारी किए गए नोटिस के जवाब में, याचिकाकर्ता ने 19.9.2009 को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया था और कुछ जानकारी मांगी थी, हालांकि, जब तक उसने अपना इस्तीफा प्रस्तुत नहीं किया था, तब तक वह कभी प्रस्तुत नहीं की गई थी।

(7) दलीलों के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने इलारबिलास बिस्वास बनाम आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल (1) बीजे शेलट बनाम गुजरात राज्य और अन्य (2) मेसर्स जेके कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड, कानपुर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (3) और भागीरथी जेना बनाम निदेशक मंडल, ओएसईसी और अन्य पर भरोसा रखा। (4)

(1) ए. आई. आर. 1963 कैल 359
(2) ए. आई. आर. 1978 एस सी 1109
(3) ए. आई. आर. 1990 एस सी 1808
(4) ए. आई. आर. 1999 (3) एस सी 52

(8) दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि 2012 के सी एम संख्या 15300 के साथ संलग्न दस्तावेज (अनुलग्नक आर-1 से आर-5) स्पष्ट रूप से साहित्यिक चोरी को आसान बनाते हैं। प्रकाशक के इन पत्रों में यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता ने प्रो. एम. डी. शर्मा द्वारा लिखे गए पहले के पत्र की प्रतिलिपि बनाई थी। उपरोक्त संचार के आलोक में, विश्वविद्यालय द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र में तथ्य का उल्लेख करने में कुछ भी गलत नहीं किया गया है। यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया था और उसमें किसी शर्त का उल्लेख नहीं किया गया था। हालाँकि, यह प्रस्तुत किया गया था कि तथ्य खोज समिति की रिपोर्ट में, यह

राय दी गई थी कि याचिकाकर्ता द्वारा साहित्यिक चोरी का प्रयास किया गया था। हालांकि, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील इस बात पर विवाद नहीं कर सके कि प्रो. एम. डी. शन्ना द्वारा कथित रूप से प्रकाशित पेपर, जिसे कथित रूप से याचिकाकर्ता द्वारा कॉपी किया गया था, विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता के इस्तीफे को स्वीकार करने से पहले उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी गई थी। वास्तव में, उन्होंने केवल अपने खिलाफ जांच शुरू करने के कारण इस्तीफा दिया था जो उनकी सेवानिवृत्ति के बाद भी जारी रह सकती थी। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि केवल अनुभव प्रमाणपत्र दस्तावेजों में एक तथ्य का उल्लेख करना दंड के बराबर नहीं है, इसलिए, याचिकाकर्ता उसी के खिलाफ शिकायत नहीं उठा सकता है।

(9) पक्षकारों की विद्वान सलाह सुनी और कागजी पुस्तक का अवलोकन किया।

(10) याचिकाकर्ता ने गणित में व्याख्याता के रूप में संस्थान के साथ कार्य किया और 14.9.2004 से 11.12.2009 तक काम किया। याचिकाकर्ता ने अपना इस्तीफा दिनांक 6.11.2009 के पत्र के माध्यम से दिया था, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 11.12.2009 के संचार के माध्यम से उसी तारीख से विधिवत स्वीकार कर लिया गया था। इससे पहले, याचिकाकर्ता को साहित्यिक चोरी के प्रयास के संबंध में प्रो. एम. डी. शर्मा द्वारा की गई शिकायत के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक नोटिस जारी किया गया था। उसी का जवाब याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 19.9.2009 के संचार के माध्यम से दिया गया था (संलग्नक P-6). विश्वविद्यालय से कुछ दस्तावेज मांगे गए थे ताकि वह विस्तृत जवाब दाखिल कर सके। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए प्रश्न के जवाब में, यह कहा गया था कि विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 19.9.2009 के पत्र के जवाब में याचिकाकर्ता को कोई जवाब नहीं भेजा गया था।

(11) जैसा कि ऊपर देखा गया है, याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई जानकारी उसे कभी नहीं दी गई थी। उस समय तक, याचिकाकर्ता ने इस कारण से व्यक्तिगत कठिनाई बताते हुए अपना इस्तीफा सौंप दिया था कि उसकी शादी किसी अन्य स्थान पर हुई थी। तथ्य खोज समिति की रिपोर्ट में, यह दर्ज किया गया था कि याचिकाकर्ता द्वारा साहित्यिक चोरी का प्रयास किया गया था। उपर्युक्त निष्कर्ष स्पष्टतः बिना किसी आधार के है, इस कारण से कि याचिकाकर्ता द्वारा उस पत्रिका की प्रति की आपूर्ति के संबंध में उठाए गए प्रश्न में, जिसमें प्रो. एम. डी. शर्मा द्वारा लिखित पेपर प्रकाशित किया गया था, दिनांक 18.1.2010 और 3.3.2010 के पत्रों के माध्यम से, यह कहा गया था कि वह पत्रिका जिसमें उपरोक्त पेपर प्रकाशित किया गया था, उपलब्ध नहीं है। याचिकाकर्ता द्वारा अपना त्यागपत्र देने के पश्चात् दिनांक 9.12.2009 की कार्यालय सूचना में यह भी अभिलिखित किया गया है कि प्रो. एम. डी. शर्मा द्वारा प्रकाशित शोधपत्र की प्रति याचिकाकर्ता को नहीं भेजी गई थी। इस तथ्य से कि ऐसा पेपर विश्वविद्यालय में उपलब्ध नहीं है, यहां तक कि बहस के समय उत्तरदाताओं के वकील द्वारा भी इनकार नहीं किया गया है, क्योंकि इसे रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया था। अभिलेख पर कोई सामग्री के बिना, तथ्य खोज समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

(12) उपर्युक्त उल्लेख से यह भी स्पष्ट है कि आज तक स्व-वित्तपोषण योजना के तहत काम करने वाले शिक्षकों की सेवा के नियमों और शर्तों के लिए कोई निर्धारित नियम/समझौता नहीं था। अंत में, यह प्रस्ताव रखा गया कि क्या याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 19.9.2009 के पत्र द्वारा मांगे गए दस्तावेजों की आपूर्ति करते समय, याचिकाकर्ता को अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है या चूंकि याचिकाकर्ता ने पहले ही इस्तीफा दे दिया था, इसलिए उसका इस्तीफा स्वीकार किया जा सकता है। नोट डायल में भी इसका उल्लेख किया गया है, भले ही उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई हो, क्योंकि

उसने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है, उस समय तक यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। अंततः, उनके इस्तीफे को स्वीकार करने का निर्देश दिया गया, हालांकि अंत में यह उल्लेख किया गया है कि अनुभव प्रमाण पत्र में साहित्यिक चोरी के संबंध में जांच के लंबित होने के बारे में एक पंक्ति जोड़ी जाए।

(13) याचिकाकर्ता को इस्तीफा देने के बाद अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था। चूंकि याचिकाकर्ता को केवल 19.6.2010 को अनुभव प्रमाण पत्र की एक फोटो प्रति प्रदान की गई थी और विश्वविद्यालय का रुख यह था कि इसे याचिकाकर्ता को भेजा गया था, इसलिए उसने 12.7.2010 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी मांगी थी कि किस एजेंसी के माध्यम से लिफाफा भेजा गया था और डिलीवरी की तारीख और प्रमाण आदि। इसके जवाब में विश्वविद्यालय ने जवाब दिया कि प्रमाण पत्र संस्थान के कार्यालय में दिया गया था। डिलीवरी की तारीख के बारे में, पूछताछ को संस्थान को स्थानांतरित कर दिया गया था। उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में, जिसे दिनांक 28.7.2010 के पत्र के माध्यम से संस्थान को जानकारी प्रदान करने के लिए स्थानांतरित किया गया था, यह कहा गया था कि संस्थान द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र कभी भी याचिकाकर्ता को नहीं भेजा गया था क्योंकि ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। फिर भी तथ्य यह है कि अनुभव का प्रमाण पत्र, जो कथित रूप से विश्वविद्यालय द्वारा याचिकाकर्ता को भेजा गया था, वास्तव में नहीं भेजा गया था। जाहिर तौर पर एक गलत रुख अपनाया गया था।

(14) आवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए संचारों (अनुलग्नक आर-1 से आर-5) पर निर्भरता के संबंध में, इस स्तर पर उत्तरदाताओं द्वारा इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए एक विशिष्ट प्रश्न में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत एक आवेदन। दिनांक 18.1.2010 के अपने उत्तर के माध्यम से। यह कहा गया था कि विश्वविद्यालय और प्रकाशक

के बीच रिकॉर्ड पर कोई संचार उपलब्ध नहीं है। अब दस्तावेजों को अभिलेख पर रखने की मांग की गई है, जिसे प्रकाशक और प्रो. एम. डी. शर्मा के बीच कुछ ई-मेल संचार कहा गया है, जहां से यह साबित करने की मांग की गई है कि याचिकाकर्ता ने प्रो. एम. डी. शर्मा द्वारा प्रकाशित पेपर की प्रतिलिपि बनाकर चोरी करने का प्रयास किया था। हालाँकि, इस स्तर पर संचार को इसके अंकित मूल्य पर नहीं लिया जा सकता है क्योंकि इन्हें पहले कभी भी किसी भी कार्यवाही में संदर्भित या प्रस्तुत नहीं किया गया था। दस्तावेजों को केवल वकील द्वारा हस्ताक्षरित एक आवेदन के साथ रिकॉर्ड पर रखा गया था। इसके समर्थन में हलफनामा केवल तब दायर किया गया था जब इस अदालत द्वारा 13.12.2012 को निर्देश दिया गया था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के संदर्भ में भी, परिस्थितियों की समग्रता को देखते हुए इन दस्तावेजों पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं हो सकता है।

(15) अनुभव प्रमाणपत्र में यह पंक्ति जोड़ी गई है कि विश्वविद्यालय से याचिकाकर्ता को मुक्त करने के समय, उसके खिलाफ साहित्यिक चोरी का मामला लंबित था, आने वाले सभी समय के लिए दंड के बराबर होगा, क्योंकि यह उसके पूरे करियर पर एक धब्बा होगा। कार्रवाई बिना किसी जांच के की गई है।

(16) जहां तक याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच जारी रखने का संबंध है, वह पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जब याचिकाकर्ता के इस्तीफे की स्वीकृति पर विचार किया जा रहा था, तो प्रतिवादी इसे स्वीकार नहीं करते हुए जांच जारी रखने का निर्णय ले सकते थे। इस्तीफे की स्वीकृति में कोई शर्त नहीं है जैसा कि याचिकाकर्ता को बताया गया है। प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील ने ऐसे किसी भी नियम का उल्लेख नहीं किया जो विश्वविद्यालय को या तो किसी कर्मचारी के सेवा में नहीं होने के बाद कोई जांच शुरू करने में सक्षम बनाता है या यहां

तक कि पहले शुरू की गई कार्यवाही को जारी रखने में सक्षम बनाता है, वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता के खिलाफ कुछ भी शुरू नहीं किया गया था जब वह अभी भी सेवा में थी क्योंकि कोई आरोप पत्र जारी नहीं किया गया था, इसलिए, उसके खिलाफ शुरू की गई जांच कार्यवाही को अधिकार क्षेत्र के बिना होने के कारण रद्द कर दिया जाता है।

(17) ऊपर वर्णित कारणों के लिए, रिट याचिका की अनुमति है। प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता को साहित्यिक चोरी के कथित आरोप या किसी अन्य टिप्पणी के संबंध में कोई टिप्पणी दर्ज किए बिना अनुभव प्रमाण पत्र जारी करे और आगे याचिकाकर्ता को जारी किए गए संचार में उसे साहित्यिक चोरी के प्रयास के कथित आरोप के लिए जांच के लिए उपस्थित होने के लिए कहा जाए, जिसे रद्द कर दिया जाता है। यह माना जाता है कि अब ऐसी कोई जांच शुरू नहीं की जा सकती है।

एस. गुप्ता

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अवीषेक गर्ग
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
हिसार, हरियाणा